बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbccl.bih.nic.in

BSBCCL

Build Green, Live Green!

CIN:U45200BR2008SGC013513

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbccl.bih.nic.in

पत्रांकः–बी0एस0बी0सी0सी0एल0–188/2015 (प्रशासन)–2 3049 दिनांक– 06/12/21

कार्यालय आदेश सं0–44/2021

संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं को लागू करने के संदर्भ में दिनांकः 02.02.2021 को आहूत मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने संकल्प का ज्ञापांक–1658, दिनांकः 05.02.2021 के माध्यम् से उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं (भाग–2) पर राज्य सरकार का निर्णय (परिशिष्ट–क) के क्रमांक–11 में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के संविदा पर नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में कंडिका–क, ग, घ, च, ज, ध, त, थ एवं द में दी गयी अनुशंसाओं में से, उन अनुशंसाओं को छोड़कर, जो पूर्व से निगम में लागू है, को लागू रखने संबंधी अनुशंसा की गई है। उक्त अनुशंसा के आलोक में निगम निदेशक पर्षद की 53वी बैठक की कंडिका–53/10 में नीचे वर्णित निम्न अनुशंसओं को बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना में कार्यरत संविदा कर्मियों के सदर्भ में लागू करने का निर्णय लिया गया हैः–

1. **संविदा कर्मियों को सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तकः**–बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 में उप महाप्रबंधक (विद्युत) के 01 (एक) पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मी की सेवा सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु (60 वर्ष) तक या नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक ली जा सकेगी। अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर या असंतोषजनक सेवा के कारण सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु होने के पूर्व भी सेवा समाप्त किया जा सकता है। निगम निदेशक पर्षद द्वारा निर्धारित अधिकतम् आयु सीमा तक अब बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 में नियोजित पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष संविदा आधारित सेवा विस्तार/नवीनीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही इन पदाधिकारियों/कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र/एकरारनामा में अंकित अन्य सेवा शर्त्त यथावत् रहेंगे।
2. **अर्जित अवकाशः**– एक वर्ष में 16 दिन (सेवा के दूसरे वर्ष से लागू) एवं 60 दिन अधिकतम अवकाश संचित किया जा सकता है।
3. **मातृत्व अवकाशः**– प्रसुति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत कार्रवाई किया जाना है। मातृत्व अवकाश की यह सुविधा ऐसी सभी महिला कर्मियों को उपलब्ध होगी जो निगम में पिछले 12 महीनों में 80 दिनों के लिए कार्य कर चुकी हैं। सन् 1961 के अधिनियम में 12 सप्ताह मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। अनुमानित प्रसव तिथि के पहले आठ सप्ताह तक अवकाश अनुमान्य है एवं शेष 18 सप्ताह शिशु के जन्म के बाद अनुमान्य है। दो बच्चों के बाद मात्र 12 सप्ताह के लिए अवकाश अनुमान्य होगा – छः सप्ताह अनुमानित प्रसव तिथि के पहले एवं छः सप्ताह शिशु के जन्म के बाद। इस अधिनियम की यह भी विशेषता है कि तीन महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली या सरोगेट माँ को भी 12 सप्ताह की छुट्टी देय होगी। महिला कर्मचारी अपने बच्चे की देखभाल के लिए काम के घंटों के दौरान चार बार अपने बच्चों से मिल सकती है।
4. **पितृत्व अवकाशः**– 15 दिन (अधिकतम् दो बच्चों तक)
5. **अवैतनिक अवकाशः**– 30 दिन (यह अवकाश किसी भी कर्मचारी का अधिकार नहीं है)। इसलिए अवकाश पर जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन आवश्यक है। अनाधिकृत रूप से अवकाश पर जाने पर संबंधित कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। जो कर्मी बिना किसी सूचना के 15 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित पाये जाते हैं, उनके पद को रिक्त घोषित किया जाएगा एवं संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी।

6. **सेवा अवधि में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदानः–** सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर संविदा पर कार्यरत कर्मी के निकटतम आश्रित को एक मुश्त चार लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा।

7. **संविदा कर्मियों के सेवा अभिलेख का संधारणः–** बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 में संविदा पर नियुक्त/कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सेवा अभिलेख संधारित किया जाएगा। इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग से संविदा कर्मियों के लिए तैयार सेवा अभिलेख के प्रारूप की माँग की जानी है।

8. **संविदा कर्मियों के कार्यो का वार्षिक मूल्यांकनः– प्रत्येक** संविदा कर्मियों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन किया जाएगा।

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना की सेवा नियमावली, 2013 के संबंधित कंडिका को इस हद तक संशोधित समझा जाय। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2666 (भ), दिनांकः 09.03.2019 के द्वारा उक्त पद को सम्परिवर्तित कर विभागीय संवर्ग में शामिल कर लिया गया है। उक्त के आलोक में यह कार्यालय आदेश भविष्य मे संबंधित पद हेतु भवन निर्माण विभाग/बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगा।

सभी कर्मियों को संलग्न एकरारनामा प्रारूप के अनुसार बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के साथ नया एकरारनामा सम्पादित करना आवश्यक होगा।

6-12-21

मुख्य महाप्रबंधक,
बि0रा0भ0नि0नि0लि0, पटना।

ज्ञापांकः– 3049 दिनांकः– 06/12/21

प्रतिलिपिः–निगम के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6-12-21

मुख्य महाप्रबंधक,
बि0रा0भ0नि0नि0लि0, पटना।

ज्ञापांकः– 3049 दिनांकः– 06/12/21

प्रतिलिपिः–सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

6-12-21

मुख्य महाप्रबंधक,
बि0रा0भ0नि0नि0लि0, पटना।

ज्ञापांकः– 3049 दिनांकः– 06/12/21

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

6-12-21

मुख्य महाप्रबंधक,
बि0रा0भ0नि0नि0लि0, पटना।

ज्ञापांकः– 3049 दिनांकः–06/12/21

प्रतिलिपिः–विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष महोदय, निगम निदेशक पर्षद, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

6-12-21

मुख्य महाप्रबंधक,
बि0रा0भ0नि0नि0लि0, पटना।

ज्ञापांकः– 3049 दिनांकः–06/12/21

प्रतिलिपिः–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

6-12-21

मुख्य महाप्रबंधक,
बि0रा0भ0नि0नि0लि0, पटना।